उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
किसान मण्डी भवन, लखनऊ

संख्याः उ0प्र0वि0नि0आ0 / सचिव / विनियमावली / 05–250
लखनऊ, दिनांक, 7 जून, 2005

अधिसूचना

यू0पी0आर0सी0 (राज्य भार प्रेषण केन्द्र को फीस और प्रभारों के भुगतान के लिए प्रक्रिया, निबन्धन और शर्तें एवं अन्य संबंधित उपबन्ध) विनियमावली, 2004

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 32 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते है, अर्थात्:–

1. सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तारः

(क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र को फीस और प्रभारों के भुगतान के लिए प्रक्रिया, निबन्धन और शर्तें और अन्य संबंधित उपबन्ध) विनियमावली, 2004 कही जाएगी।

(ख) यह उत्पादन कम्पनियों पर प्रवृत्त होगी, इनमें कैप्टिव विद्युत संयंत्र, सह–उत्पादन विद्युत संयंत्र, विद्युत के स्थानापन्न स्रोतों से उत्पादन और उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत प्रणाली से जुड़े हुए लाइसेंसधारी सम्मिलित होंगे।

(ग) यह विनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं और निर्वचन

(1) इस विनियमावली में, जब तक संन्दर्भ या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न होः

"अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

"अनुबन्ध" का तात्पर्य उत्पादन कम्पनी और लाइसेंसधारी या उपभोक्ता और लाइसेंसधारी के बीच हुए अनुबन्ध से है;

"लेखा विवरणी" का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र, निधि के स्रोतों और प्रयोज्यता की विवरणी से युक्त लेखा विवरणी से है, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन सविस्तार टिप्पणियां और ऐसी अन्य विशिष्टियां और ब्यौरे ऐसी रीति में, जिसमें आयोग समय–समय पर निर्देश दे, सम्मिलित हैं।

"वार्षिक लेखे" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम 1956 और/या ऐसी अन्य रीति से जिसे आयोग द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्देशित किया जाए, के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गए राज्यभार प्रेषण केन्द्र के लेखों से है।

"लेखा परीक्षकों" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की यथा स्थिति धारा 224–क या धारा 619, जैसी स्थिति हो, की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यरत राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लेखा परीक्षकों से है।

"प्राधिकरण" का तात्पर्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से है।

"कैप्टिव उत्पादन संयंत्र" का तात्पर्य ऐसे विद्युत संयंत्र से है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रथमतः अपने निजी प्रयोग के लिये विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित किया गया हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति या व्यक्तियों के समुह द्वारा प्रथमतः ऐसे सहकारी समिति या समुह के सदस्यों के प्रयोग के लिए विद्युत उत्पादन के लिए लगाया गया विद्युत संयंत्र भी है।

"सह–उत्पादन" का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक साथ दो या अधिक प्रकार की उपयोगी ऊर्जा (विद्युत सहित) उत्पादित होती है।

"आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है।

"वितरण लाइसेंसधारी" का तात्पर्य अपने आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण के लिए प्राधिकृत लाइसेंसधारी से है।

"वितरण प्रणाली" का तात्पर्य पारेषण लाइनों या उत्पादन गृह के आपूर्ति बिन्दु और उपभोक्ताओं के संयोजन बिन्दु के मध्य तारों की प्रणाली और सहयुक्त सुविधाओं से है।

"डीम्डलाइसेंसधारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम परन्तुक के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से है।

"विद्युत प्रणाली" का तात्पर्य, यथा स्थिति, किसी उत्पादन कम्पनी या लाइसेंसधारी के नियन्त्रण के अधीन प्रणाली से है जिसमें एक या अधिक –

(क) उत्पादन गृह, या
(ख) पारेषण लाइनें, या
(ग) विद्युत लाइने और सेवा स्टेशन,
हो और जब राज्य या संघ के सन्दर्भ में प्रयुक्त हो तो उन सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण विद्युत प्रणाली।

"विद्युत व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे विद्युत का व्यापार करने के लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है;

"उत्पादन कम्पनी" का तात्पर्य किसी कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्तियों का समूह या निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या काल्पनिक न्यायिक व्यक्ति जो उत्पादन गृह का स्वामी हो या संचालन करता हो, या अनुरक्षण करता है, से है।

"उत्पादन" का तात्पर्य किसी परिसर को आपूर्ति किये जाने के उद्देश्य से या इस प्रकार दी जाने वाली आपूर्ति के लिए उत्पादन गृहों से विद्युत उत्पादन करने से है।

"ग्रिड" का तात्पर्य आन्तरिक रूप से जुड़ी हुई पारेषण लाइनों, उपकेन्द्रों और उत्पादन संयंत्रों की उच्च वोल्टेज वाली आधार स्तम्भ प्रणाली से है।

"ग्रिड कोड" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, राज्य पारेषण सेवा द्वारा विकसित ग्रिड कोड, जो अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदिता या विनिर्दिष्ट हो, और ग्रिड के संयोजनों और उसके संचालन से संबन्धित सभी सारभूत तकनीकी पहलुओं को पूर्ण करता हो, पारेषण प्रणाली का प्रयोग या (यहां तक पारेषण प्रणाली के संचालन और प्रयोग से सुसंगत हो) पारेषण प्रणाली, वितरण प्रणाली या किसी आपूर्तिकर्ता की प्रणाली से जुड़ी हुई विद्युत लाइनों और विद्युत संयंत्र के संचालन से है और इसमें अन्तरिम ग्रिड कोड भी सम्मिलित होगा।

राज्यों के मध्य "अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली" में निम्नलिखित हैः–

एक) एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में मुख्य पारेषण लाइन के माध्यम से विद्युत के प्रेषण के लिये कोई प्रणाली।

दो) मध्यवर्ती राज्य की सीमा के आरपार विद्युत का प्रेषण और राज्य के भीतर विद्युत का प्रेषण जो विद्युत के ऐसे अन्तःराज्यीय प्रेषण से सम्बन्धित हो

तीन) केन्द्रीय पारेषण सेवा के स्वामित्व में उसके द्वारा निर्मित, संचालित, अनुरक्षित या नियन्त्रण वाली प्रणाली द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर विद्युत का पारेषण।

"अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली" का तात्पर्य अर्न्तराज्यीय पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त विद्युत के पारेषण के लिए किसी प्रणाली से है।

"अन्तःराज्यीय व्यापार" का तात्पर्य किसी विद्युत व्यापारी द्वारा राज्य की सीमा के भीतर विद्युत के व्यापार से है।

"लाइसेंस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है।

"मुक्त उपगम" का तात्पर्य पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या सहयुक्त सुविधाओं का किसी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता या उत्पादन में लगे हुये किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमावली के अनुसार ऐसी लाइनें या प्रणाली के प्रयोग के लिए भेदभाव रहित व्यवस्था से है।

"विद्युत प्रणाली" का तात्पर्य उत्पादन, पारेषण, वितरण और विद्युत की आपूर्ति के सभी पहलुओं से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित में से एक या अधिक सम्मिलित हैं; अर्थात उत्पादन गृह, पारेषण या मुख्य पारेषण लाइनें, उपकेन्द्र, टाइलाइनें, भार प्रेषण कियाकलाप और मेन्स या वितरण मेन्स इत्यादि।

"क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र" का तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले धारा 27 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित केन्द्र से है और यह क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समन्वित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शीर्षस्थ निकाय होगा।

"राज्य पारेषण सेवा" का तात्पर्य धारा 39 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप के विनिर्दिष्ट बोर्ड या सरकारी कम्पनी से है।

"विद्युत–चक्रण" का तात्पर्य ऐसे संचालन से है जिसके द्वारा वितरण प्रणाली और यथा स्थिति, पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी की सहयुक्त सुविधाओं का आयोग द्वारा धारा 62 के अधीन निर्धारित किए जाने वाले प्रभारों के भुगतान पर विद्युत के प्रेषण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है।

"विनियमावली" का तात्पर्य अधिनियम या राज्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा बनाई गई विनियमावली से है।

''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

''राज्य अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 से है जहाँ तक वह अधिनियम 2003 के प्रतिकूल न हो।

''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

''व्यापार'' (trading) का तात्पर्य विद्युत की पुनः बिक्री के लिये उसके क्रय से है और पद व्यापार का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

"व्यापार करने वाला लाइसेंसधारी" का तात्पर्य व्यापार करने के लिये अधिनियम की धारा 14 के अधीन लाइसेंसधारी से है और इसके अन्तर्गत उक्त प्रयोजन के लिये डीम्ड लाइसेंसधारी भी होंगे।

''पारेषण लाइसेंसधारी'' का तात्पर्य उस सत्ता से है जिसे पारेषण लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो या जो अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पांचवें परन्तुक के अधीन विद्युत का पारेषण करने के लिये प्राधिकृत डीम्ड लाइसेंसधारी हो।

3. राज्य भार प्रेषण केन्द्रः

राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसा केन्द्र होगा जिसका संचालन किसी सरकारी कम्पनी या किसी प्राधिकरण या राज्य अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित या गठित निगम द्वारा किया जायेगा परन्तु यह कि जब तक राज्य सरकार ऐसा अधिसूचित न करे, तब तक राज्य पारेषण सेवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र का संचालन करेगी और राज्य में विद्युत प्रणाली के समन्वित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शीर्षस्थ निकाय होगी।

4. एस.एल.डी.सी. के कृत्य

(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगाः

(एक) विद्युत की अनुसूची बनाना बौर उसका प्रेषण

(दो) ग्रिड के नियन्त्रण के लिए यथार्थ समय संचालन और विद्युत का प्रेषण।

(तीन) अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण।

(चार) ग्रिड संचालनों का अनुश्रवण ।

(पांच) ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत का लेखा जोखा रखना।

(2) कृत्यों के निर्वहन में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, लाइसेंसधारियों या उपभोक्ताओं और उत्पादन कम्पनियों या लाइसेंसधारियों के मध्य या लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं के मध्य हुई संविदाओं, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानकों, केन्द्रीय आयोग और उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड से मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा।

5. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दायित्वः

राज्य भार प्रेषण केन्द्र –

(एक) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निदेशों का अनुपालन करेगा।

(दो) यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी पारेषण लाइसेंसधारी को या राज्य पारेषण सेवा को या राज्य के अन्य लाइसेंसधारी को या उत्पादन कम्पनी को या राज्य के उपकेन्द्रों को दिये गये निदेशों का सम्यक रूप से अनुपालन होता है।

(तीन) उपलबधता पर आधारित टैरिफ के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(चार) आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली 'सुलभ–पहुंच विनियमावली' के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

6. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कर्तव्यः

कृत्यों, दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अधिनियमों के उपबन्धों, विद्युत चक्रण एवं विद्युत की अनुसूची बनाना और उसके प्रेषण के संबंध में सिद्धान्तों और कार्य पद्धतियों आदि, जैसा कि केन्द्रीय आयोग ने भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट किया है; उपलब्धता पर आधारित टैरिफ के उपबन्धों, उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिडकोड, 'मुक्त उपगम' विनियमावली, उत्पादन टैरिफ विनियमावली के निबन्धन और शर्तों और अन्य संबंधित मामलों की विनियमावली और आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली कोई अन्य नियमावली, विनियमावली और आचरण संबंधी निदेशों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र–

(एक) केन्द्रीय उत्पादन गृहों, राज्य उत्पादन गृहों या विद्युत की उपलब्धता के अन्य स्रोतों से उत्पादन और आहरणों की अनुसूची तैयार करेगा और उस प्रयोजन के लिए सरकारी गजट में, इस विनियमावली के प्रकाशन के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर, सविस्तार प्रक्रिया सूत्रित करेगा'।

(दो) ग्रिड संचालन और विद्युत प्रणाली के माध्यम से विद्युत अन्तरण के आंकड़े एकत्रित और उनका अनुरक्षण करेगा और उस प्रयोजन के लिए, ग्रिड से जुड़ी हुई उत्पादन कम्पनियों और लाइसेंसधारियों के लिए दिशा निर्देश बनाएगा और उसके अधीन यथा अपेक्षित सम्बन्धित अधिकरणों को अपेक्षित आंकड़े का संचार सुनिश्चित करेगा।

(तीन) अनुसूची रचित पारस्परिक परिवर्तन लेखे के सहित ऊर्जा लेखे तैयार करेगा और उसकी तैयारी के लिए, इस विनियमावली के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर, एक योजना विकसित करेगा;

(चार) अनुसूची रहित विद्युत के पारस्परिक परिवर्तन का बिल और उसे तैयार करने की प्रक्रिया बनायेगा जिसमें बिल की अवधि, भुगतान का ढंग, भुगतान की अवधि, विलम्ब से किये गये भुगतान के लिए अधिभार और बिलों के भुगतान न करने के लिए अर्थ दण्ड विनिर्दिष्ट होगा;

(पांच) किसी अन्य विनियमावली या अन्यथा आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

7. निषेधित क्रिया कलापः

राज्य भार प्रेषण केन्द्र विद्युत के व्यापार करने के व्यवसाय में रत नहीं होगा।

8. राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय फीस और प्रभारः

(1) विद्युत प्रणाली से जुड़ी हुई राज्य उत्पादन कम्पनियों के उत्पादन गृह राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विद्युत की अनुसूची बनाने और अनुसूचियों के पुनरीक्षण, ऊर्जा लेखा तैयार करने, बिल बनाने और आंकडों के संग्रह जैसे दायित्वों के लिए फीस का भुगतान करेंगे। फीस का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगाः—

(क) पांच वर्ष या अधिक अवधि के अनुबन्धों के लिए एक लाख रूपये की वार्षिक फीस।

(ख) पांच वर्ष से कम अवधि के अन्य अनुबन्धों के लिए निम्न प्रकार फीस का भुगतान देय होगा जब तक कि आयोग द्वारा विर्निदिष्ट मुक्त उपगम विनियमावली के अधीन अन्यथा उपबन्धित न हो।

(एक) एक वर्ष से अधिक की अवधि वाले अनुबन्धों के लिए 75,000/— रूपये।

(दो) एक वर्ष से कम अवधि वाले अनुबन्धों के लिए 50,000/— रूपये।

(तीन) एक मास या उसके भाग की अवधि वाले अनुबन्धों के लिए 20,000/— रूपये।

(ग) कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा अपने निजी प्रयोग या अन्यथा लक्ष्य स्थल तक विद्युत को ले जाने हेतु, विनियम 8(1) (क) पर विनिर्दिष्ट के समतुल्य वार्षिक फीस उद्ग्रहण की जायेगी।

(2) विद्युत के अन्तःराज्यीय पारेषण में लगे हुए लाइसेंसधारियों द्वारा, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत्यों, दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, सम्बन्धित परिसम्पत्तियों और दायित्वों से उत्पन्न, मासिक आधार पर नियत प्रभार देय होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे –

(क) नियोजित अंशों पर लाभ
(ख) मूल्यह्रास,
(ग) ऋण पर ब्याज,
(घ) संचालन और अनुरक्षण व्यय
(ङ.) कार्यशील पूंजी, यदि कोई हो, पर ब्याज
(च) कर और शुल्क

(3) वाणिज्यिक प्रयोग में परिसम्पत्तियों को लगाने के दिनांक को, वास्तव में उपगत् पूंजी व्यय के आधार पर, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन, परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

पूंजी मूल्यांकन, संवीक्षा पूंजीगत मूल्य, वित्त योजना, उपयोग का प्रयोजन और दक्ष तकनीक तक सीमित होगी। विद्यमान परिसम्पत्तियों के मामले में, दिनांक 01.02.2004 तक की कुल नियत परिसम्पत्तियों को, प्रभारो के निर्धारण हेतु लिया जायेगा।

(4) यथार्थ ऋण और नियोजित अंश पर ध्यान दिये बिना, प्रभारों के निर्धारण के लिए परिसम्पत्ति के मूल्य को 70:30 के अनुपात में मानकीय ऋण और नियोजित अंश में विभाजित कर दिया जायेगा। यदि नियोजित अंश 30% से कम है तो प्रभारों के निर्धारण के लिए यथार्थ ऋण और नियोजित लिया जायेगा।

(5) वर्ष के 1 अप्रैल को संचयी प्रतिसंदाय की गणना करने पर बाकी ऋण पर विनियम 8(4) के अधीन निर्धारित ऋण पर प्रत्येक ऋण पर ब्याज की संगणना की जायेगी। ब्याज की दर वह यथार्थ दर होगी जिस पर वित्तीय अभिकरण के साथ संविदा हुई है।

(6) परिसम्पत्ति के ऐतिहासिक मूल्य के अधिकतम 90% तक मूल्यह्रास की अनुमति होगी। मूल्यह्रास की गणना परिसमपत्तियों के संचालन के प्रथम वर्ष से की जायेगी, जो परिसम्पत्तियों की उपयोगी जीवन में सीधी प्रणाली पर आधारित, दिनांक 1–4–2004 से प्रभावी केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की टैरिफ विनियमावली द्वारा विहित दर पर होगी। मूल्यह्रास का उपयोग ऋण के प्रति संदाय के लिए किया जायेगा और सम्पूर्ण ऋण के प्रति संदाय हो जाने पर अवशेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति की अवशिष्ट उपयोगी अवधि में बांट दिया जायेगा। विद्यमान परिसम्पत्तियों के मामले में दिनांक 1–4–2004 को मूल्यह्रास किये हुए मूल्य पर मूल्यह्रास की गणना के लिए विचार किया जायेगा।

(7) विनियम 8(4) के अधीन यथा निर्धारित अंशों पर लाभ, कर के पश्चात् 14% होगा।

(8) संचालन और अनुरक्षण खर्चों में नियोजक मूल्य लागत, मरम्मत और अनुरक्षण प्रभार, पावर प्रभार, संचार व्यय, प्रशिक्षण और भर्ती प्रभार, यात्रा व्यय, मुद्रण और लेखन–सामग्री व्यय, किराया, बीमा, निगमित व्यय, प्रकीर्ण व्यय, संरक्षा, वाहन आदि सम्मिलित होंगे।

(9) कुल चालू परिसम्पत्तियों में से कुल व्यय घटा कर क्रियाशील पूंजी की गणना की जायेगी। क्रियाशील पूँजी पर ब्याज की गणना, वर्ष के 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की अल्पावधि मुख्य उधार दर के आधार पर की जाएगी।

(10) आयकर और अन्य संवैधानिक शुल्क, यदि कोई हो, यथार्थ में भुगतान किए जाएंगे।

9. भुगतानः

(1) विनियम 8(1) में यथाविनिर्दिष्ट फीस डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को स्वीकार्य अन्य प्रकार से राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय होगी।

(2) विद्युत के अंतःराज्यीय पारेषण में लगे लाइसेंसधारियों द्वारा पारेषण प्रभारों के साथ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभार भी वसूली योग्य होंगे। मासिक प्रभारों की गणना विनियम 8(2) के अधीन यथा आगणित कुल प्रभारों को बारह से विभाजित करके की जाएगी।

10. फीस का उपयोगः

विनियम 8(1)(ख) के अधीन पांच वर्ष से कम अवधि के अनुबंधों से प्राप्त फीस का उपयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय नियत प्रभारों को घटाने के लिए किया जाएगां तथापि, पांच वर्ष या अधिक अवधि वाले अनुबन्धों के मामलों में,विनियम 8(1) और 8(1) ग के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत भविष्य विनियोजन प्रयोजनों के लिए बचत के रूप में रोका जाएगा जबकि उक्त फीस का अवशिष्ट पचास प्रतिशत राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रात्साहन होगा परन्तु भविष्य विनियोजन में उपयोग की गई बचत नियोजन अंश का भाग बन जाएगी लेकिन उस पर लाभ की अनुमति नहीं होगी।

11. बिलिंगः

राज्य भार प्रेषण केन्द्र विनियम 9(2) के अनुसार उसके द्वारा अन्तिम रूप दिये गए ऊर्जा लेखे के आधार पर प्रत्येक मास के लिए बिल अगले मास के सातवें दिन तक प्रस्तुत करेगा। बिल का भुगतान अगले सात दिनों के भीतर किया जाएगा।।

12. विलम्ब भुगतान अधिभार

1.2% की दर से विलम्ब भुगतान अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा यदि बिल का भुगतान विनियम 11 में यथा अनुध्यात समय के भीतर न किया जाए।

13. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लेखे

(1) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए, वित्तीय वर्ष की अवधि एक अप्रैल से अनुवर्ती इकतीस मार्च तक होगी।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे लेखों का अभिलेख रखेगा औरलेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित लेखा विवरणी तैयार करेगा जो प्रत्येक व्यवसाय के संबंध में रखे जाने के लिए अपेक्षित होंगे जिससे राजस्व, लागत, परिसम्पत्तियां, दायित्व, व्यय, संचिति और व्यवस्थाएं या जो तर्कपूण ढंग से भार प्रेषण क्रियाकलापों से संबंधित हो, की पुष्टि की जा सके। यदि राज्य पारेषण सेवा, राज्य भार प्रेषण केन्द्र का संचालन करे तो ऐसे लेक्षों का रख–रखाव पृथक्तः पहचान योग्य लेखा बहियों में किया जाएगा।

14. वार्षिक राजस्व माँग प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः

1– राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों से वार्षिक राजस्व मांग के निर्धारण के लिए आवेदन, जिसके विषय में उसे वसूली हेतु अनुमति दिये जाने का विश्वास है, वह उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करेगा। परन्तु यह कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा आवेदन पूर्व वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जायेगा।

2– आयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र से और सूचना की भी अपेक्षा कर सकता है जो राजस्व की मांग के निर्धारण के लिए तर्क पूर्ण ढंग से अपेक्षित हो।

3– आयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र से उक्त आवेदन में आवश्यक पक्षकार के रूप में उत्पादन कम्पनियों ओर लाइसेंसधारियो को इम्पलीड और उसके सामने प्रस्तुत वार्षिक राजस्व मांग के प्रस्ताव पर, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छित पक्षों से आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र के नोटिस प्रकाशित करा सकता है।

4– आयोग प्रभारों का निर्धारण करने में खुली सुनवाई के दौरान आवेदन पर जनता या आवश्यक पक्षों से प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

15. निदेशों का अननुपालन

1– राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे निर्देश दे सकता है और ऐसा पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है जो अधिकतम मितव्ययता और दक्षता प्राप्त करने के लिए विद्युत प्रणाली के समन्वित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो और प्रत्येक लाइसेंसधारी, उत्पादन कम्पनी, उपकेन्द्र और विद्युत प्रणाली के संचालन से जुड़ा हुआ कोई अन्य व्यक्ति ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

2– यदि कोई लाइसेंसधारी, उत्पादन कम्पनी या कोई अन्य व्यक्ति निर्गत निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहे तो वह 5 लाख रूपये से अनधिक अर्थदण्ड का भागी होगा।

16. विवाद का समाधान

यदि विद्युत की गुणवत्ता या संरक्षा, राज्य ग्रिड के संरक्षित और समन्वित संचालन के संदर्भ में या किसी निदेश, भुगतान या बिल बनाने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे न्याय निर्णयन के लिए आयोग को संदर्भित किया जाएगा।

परन्तु यह कि आयोग के निर्णय के लम्बित रहने तक, लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देश का अनुपालन करेगी।

17. प्रकीर्ण : इस विनियमावली की किसी बात सेः

1— यह नहीं समझाा जाएगा कि जिन लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से यह विनियमावली बनाई गई है उनके लिए इस विनियमावली के उपबन्धों में, किसी समय और ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें आयोग उचित समझे, कोई संशोधन करने के लिए आयोग की शक्ति सीमित या अन्यथा प्रभावित है।

2— यदि आयोग किसी विषय अथवा विषयों की विशेष परिस्थितियों अथवा कारणों, जिन्हें लिखित रूप में अंकित किया जायेगा, से यह न्यायोचित या आवश्यक समझता है कि इस विनियमावली के प्राविधानों से हट कर, परन्तु अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप कोई प्रक्रिया अपनाई जाये, तो आयोग ऐसा करने से बाधित नहीं होगा।

3— आयोग, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से, किसी मामले को निपटाने या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने से बाधित नहीं होगा जिस विषय में कोई विनियमावली नहीं बनाई गई है और आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों और कृत्यों को ऐसी रीति से निपटा सकता है जो वह न्याय संगत और उचित समझे।

18. कठिनाइयों का निवारणः

यदि इस विनियमावली के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, जो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश से, वह सब कुछ कर सकता है जो अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हो, और जो आयोग को कठिनाइयों को देर करने के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हो।

19. यह विनियमावली अंग्रेजी में बनाई और हिन्दी में अनुवादित की गई है। विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण माना जायेगा।

आयोग के आदेश से

सचिव

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Lucknow

NOTIFICATION No.: UPERC/Secy/Regulation/05-250

Lucknow : Dated, 7 June, 2005

UPERC (Procedure, Terms & Conditions for payment of Fee and Charges to State Load Despatch Centre and other related provisions) Regulation, 2004.

In exercise of powers conferred under Section-32 read with Section 181 of the Elecricity Act-2003 and of all other powers enabling in this behalf, and after previous publications, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short Title, extent and Commencement:

(a) These regulations shall be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms & Conditions for payment of Fee and Charges to State Load Despatch Centre and other related provisions) Regulations, 2004

(b) These shall apply to generating companies including captive power plants, co-generating power plants, generation from renewable sources of energy and licensees connected with the power system in the State of Uttar Pradesh.

(c) These regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions and Interpretation

(1) In these regulations unless the context or subject-matter otherwise requires:

"Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

“**Agreement”** means the agreement entered into between the generating company and licensee or consumer and between licensees:

“Accounting Statement” means for each financial year, accounting statements comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of sources and application of funds, together with notes thereto as detailed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and such other particulars and details in the manner as the Commission may direct from time to time.

“Annual Accounts” means the accounts of the State Load Despatch Centre prepared in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and/or in such other manner as may be directed by the Commission in terms of the provisions of the Act;

“Auditors” means the auditors of State Load Despatch Centre holding office in accordance with the requirements of Sections 224 to 234A or Section 619 as the case may be, of the Companies Act 1956 (1 of 1956);

“**Authority**” means the Central Electricity Authority.

“Captive Generating Plant” means a power plant set up by any person to generate electricity primarily for his own use and include a power plant set up by any co-operative society or association of persons for generating electricity primarily for use of members of such co-operative society or association;

“Co-generation” means a process, which simultaneously produces two or more forms of useful energy (including electricity);

“**The Commission”** means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

"Distribution Licensee" means a licensee authorized to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;

"Distribution System" means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers;

"Deemed Licensee" means a person authorized under the first, second, third and fifth proviso to section 14 of the Act.

"Electricity System" means a system under the control of a generating company or licensee, as the case may be, having one or more –

(a) Generating stations; or

(b) Transmission lines; or

(c) Electricity lines and service stations,

and when used in the context of a State or the Union, the entire electricity system within the territories thereof;

"Electricity Trader" – means a person who has been granted a license to undertake trading in electricity;

"Generating Company" means any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial judicial person, which owns or operates or maintains a generating station;

"Generate" means to produce electricity from generating stations for the purpose of giving supply to any premises or enabling a supply to be so given;

"**Grid**" means the high voltage backbone system of inter connected transmission lines, sub-stations and generating plants;

"Grid Code" means U.P. Electricity Grid Code, the grid code developed by the State Transmission Utility approved by the Commission or specified by the Commission under the provision of the Act, covering all material technical aspects relating to connections to and the operation of the Grid, the use of a Transmission System, or (in so far as relevant to

the operation and use of a Transmission System) the operation of electric lines and electrical plant connected to the Transmission System, the Distribution Systems, or the system of any Supplier, and shall include the Interim Grid Code;

"Inter-state transmission system" includes –

i) Any system for the conveyance of electricity by means of main transmission line from the territory of one State to another State;
ii) The conveyance of electricity across the territory of an intervening state as well as conveyance within the State, which is incidental to such inter-state transmission of electricity;
iii) The transmission of electricity within the territory of the State on a system built, owned, operated, maintained or control by a Central Transmission Utility;

"**Intra-state transmission system**" means any system for transmission of electricity other than an inter state transmission system;

"Intra-State trading," means trading in electricity within the territory of the State by an electricity trader;

"License" means the license granted under section 14 of the Act;

"Open Access" means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation in accordance with the regulations specified by the Commission;

"**Power System**" means all aspects of generation, transmission, distribution and supply of electricity and include one or more of the following, namely- Generating Stations, Transmission or main transmission lines, sub stations, tie lines, load dispatch activities and mains or distribution mains etc.

"Regional Load Dispatch Centre" means the Centre established under sub-section-1 of Section-27 having territorial jurisdiction as determined by the Central Government and shall be the apex body to ensure integrated operation of the power system in the region;

"State Transmission Utility" means the Board or the Government Company specified as such by the State Government under sub-section-1 of Section-39;

“Wheeling” means the operation whereby the distribution system and associated facilities of a transmission licensee or distribution licensee as the case may be, are used by another person for the conveyance of electricity on payment of charges to be determined under Section-62 by the Commission;

“Regulations” means the regulations made by the Commission, under the provisions of the Act or the State Act;

“State” means the State of Uttar Pradesh;

“State Act” means the Uttar Pradesh (Uttar Pradesh Electricity Reform Act 1999) not inconsistent with Act-2003.

“State Government” means the Government of the State of Uttar Pradesh;

“Trading” means purchase of electricity for resale thereof and the expression trade shall be construed accordingly;

“Trading Licensee” means the License under section 14 of the Act for undertaking Trading and shall include Deemed Licensee for the purpose.

“Transmission Licensee” means the entity, which has been granted a Transmission License or is a deemed Licensee under the first, second, third or fifth proviso of Section 14 of the Act authorized to transmit electricity;

3. **State Load Despatch Centre:** The State Load Despatch Centre shall be the Centre established by the State Government to be operated by a Government company or any Authority or Corporation established or constituted by or under the State Act provided that until the State Government notify so, the State Transmission Utility shall operate State Load Dispatch Centre and shall be the apex body to ensure integrated operation of the power system in the State.

4. **Functions of SLDC:**

(1) The State Load Despatch Centre shall be responsible for:-

i) scheduling and Despatch of electricity;

ii) carrying out real time operation for control of grid and dispatch of electricity;

iii) exercise, supervision and control over the intra state transmission system;

iv) monitor Grid Operations;

v) keep account of the electricity transmitted through the Grid.

(2) In discharge of functions, the State Load Despatch Centre shall be guided by the contracts entered into with the licensees or consumers and generating companies or between licensees or between licensees and consumers, grid standards specified by the Authority, Grid Code specified by the Central Commission and U.P. Electricity Grid Code.

5. **Obligations of State Load Dispatch Centre:** The State Load Dispatch Centre shall -

i) comply with the directions of the Regional Load Dispatch Centre,

ii) ensure that the directions issued by the Regional Load Dispatch Centre to any transmission licensee or State Transmission Utility or other licensee of the State or Generating Company or Sub-stations in the State are duly complied with,

iii) comply with the provisions of Availability Based Tariff,

iv) comply with the provisions of 'Open Access Regulation' to be specified by the Commission.

6. Duties of State Load Dispatch Centre: In discharge of functions, obligations and duties, the State Load Dispatch Centre shall be guided by the provisions of the Act, principles and methodologies in respect of wheeling and scheduling and dispatch etc. as the Central Commission has specified in Indian Electricity Grid Code; provisions of Availability Based Tariff , U.P. Electricity Grid Code; 'Open Access' Regulation, 'Terms and Conditions of Generation

Tariff' Regulation, 'Procedure, terms and conditions for grant of Trading License and other related matters' Regulation and any other rules, regulation and practice direction specified or to be specified by the Commission.

The State Load Dispatch Centre shall -

i) prepare schedule of generation and drawls from the Central Generating Stations, State Generating Stations or from other sources of availability of power and for that purpose formulate detailed procedure of scheduling within one-month time of the date of publication of this regulation in the Official Gazette.;

ii) collect and maintain data of grid operation and transfer of electricity through the power system and for those purpose frame guidelines for the generating companies and licensees connected in the grid and to ensure transmission of required data to the concerned agencies as required under the Act;

iii) prepare energy account including unscheduled inter change account and develop a scheme for preparation of the same within one month of the date of publication of this Regulation;

iv) prepare bill of unscheduled inter change of electricity and the procedure for preparation of the same specifying therein the period of bill, mode of payment, time of payment, surcharge for delayed payment and penalty for non payment of bills;

v) perform such duties as specified by the Commission in any other regulation or otherwise.

7. Prohibited Activities:

State Load Despatch Centre shall not engage in the business of trading in electricity.

8. Fee and Charges payable to State Load Dispatch Centre:

1. The generating stations of State generating companies connected with power system shall pay a fee to State Load Despatch Centre for the duties, like scheduling and revision of schedules, preparation of energy account, billing and data collection, to be rendered by it. The fee shall be paid as below:-

   (a) An annual fee of Rs.1 lac for agreements of term five years or more.
   (b) For other agreements of term less than 5 years, fee payable shall be as hereunder, unless otherwise provided under Open Access Regulation to be specified by the Commission:
       i) Rs.75,000/- for agreements having term more than a year,
       ii) Rs.50,000/- for agreements having term less than a year,
       iii) Rs.20,000/- for each agreements having term one month or part thereof.
   (c) Captive Power Plant carrying electricity to the destination of its own use or otherwise shall be levied an annual fee equivalent to that specified at Regulation 8(1) (a).

2. The Charges payable to the State Load Despatch Centre by licensees engaged in intra State transmission of electricity, arising out of the assets and liabilities assumed by it for discharge of functions, obligations and duties under the provisions of the Act, shall be a fixed charge payable on monthly basis comprising:-
   a) Return on equity,
   b) Depreciation,
   c) Interest on loan,
   d) Operation and Maintenance expenses,
   e) Interest on Working Capital, if any.

f) Tax and duties

3. Cost of assets shall be determined based on capital expenditure actually incurred as on the date of putting the asset in commercial use subject to prudence check by the Commission. The cost estimates scrutiny shall be limited to reasonableness of capital cost, financing plans, purpose of use and efficient technology. In case of existing assets, net fixed assets as on 1.4.2004 shall be taken for the purpose of determination of charges.
4. Assets cost shall be divided into normative debt and equity 70:30 for determination of charges irrespective of actual debt and equity employed. In case, equity is less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination of charges.
5. Interest on loan shall be computed, for each loan based on loan determined under regulation 8(4), on the outstanding loan taking into account cumulative repayment as on 1st April of the year. Rate of interest shall be the actual rate of interest contracted with the financing agency.
6. Depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the historical cost of the asset. Depreciation shall be calculated, from the first year of operation of the asset, annually based on state line method over the useful life of the asset and the rate prescribed by the Central Electricity Regulatory Commission in its tariff regulation effective from 1.4.2004. Depreciation shall be utilized for repayment of loan and on repayment of entire loan, the remaining depreciable value shall be spread over the balanced useful life of the asset. In case of existing assets, the depreciated cost as on 1.4.2004 shall be considered for calculation of depreciation.
7. Return on equity as determined under regulation 8(4) shall be 14% post tax.

8. Operation and maintenance expenses shall include employee cost repair and maintenance charges, power charges, communication expenses, training and recruitment charges, traveling expenses, printing and stationery charges, rent, insurance, corporate expense, miscellaneous expense, security, vehicle etc.

9. Total current assets minus total expenditure shall be the criteria for arriving at working capital. The interest on working capital shall be calculated at rate equal to short-term prime lending rate of State Bank of India prevailing as on 1st April of the year.

10. Income Tax and other statutory duties, if any, shall be paid at actual.

9. Payment:

(1) Fee shall be payable to State Load Despatch Centre as specified in regulation 8 (1) through a Demand Draft or other mode acceptable to State Load Despatch Centre.

(2) The charges to the State Load Despatch Centre shall be payable by the licensees engaged in intra State transmission of electricity recoverable along with transmission charges. The monthly charges shall be calculated by dividing the total Charges as calculated under Regulation 8 (2) by twelve.

10. Treatment of Fee:

Fee received for agreements of term less than five years under Regulation 8 (1) (b) shall be utilized for reducing the fixed charges payable to State Load Despatch Centre. However, for agreements having term five years or more, fifty percent of the Fee payable under Regulation 8 (1) (a) & 8 (1) (c) shall be retained as surplus for future investment purposes while the remaining fifty percent of the said fee shall be incentive for the State Load Despatch Centre provided that the

surplus utilized in future investment shall form the part of equity but return shall not be allowed on it.

11. Billing:

State Load Despatch Centre shall raise bill as per regulation 9(2) on the basis of energy account finalized by it for a month to be presented by seventh day of next month. Bill shall be paid within next seven days.

12. Late payments surcharge:

Late payment surcharge at the rate of 1.25 % shall be levied in case bill is not paid within time as stipulated in regulation 11.

13. Accounts of the State Load Despatch Centre;

(1) Unless otherwise permitted by the Commission the financial year shall run from the first of April to the following thirty-first of March.

(2) The State Load Despatch Centre shall keep such accounting records and prepare accounting statement certified by auditors as would be required to be kept in respect of each such business so that the revenues, costs, assets, liabilities, expenditure, reserves and provisions of, or reasonably attributable to Load dispatch activities could be verified. In case State Transmission Utility operates State Load Despatch Centre, such accounts shall be maintained in the books of accounts separately identifiable.

14. **Procedure for filing Annual Revenue Requirement:**

1. The State Load Despatch Centre shall file an application for determination of Annual Revenue Requirement from charges, which it believes to have been permitted to recover in accordance with the procedure laid down in UPERC (Conduct of Business) Regulation. Provided that such an application for a financial year shall be filed by 31st December of the preceding year.

2. The Commission may require further information from State Load Despatch Centre as reasonably required to assess the requirement of revenue.

3. The Commission may cause the State Load Despatch Centre to implead generating companies and licensees as necessary party in the said application and publish a notice in the newspaper inviting objections from the consumers and other interested parties on the proposal of Annual Revenue Requirement filed by it before the Commission.

4. The Commission in determining the charges shall take into consideration the objection, if any, received from public or necessary parties to the application during an open hearing.

15. **Non compliance of directions:**

1. State Load Despatch Centre may give such directions and exercise such supervision and control as may be required for ensuring integrated operation of the power system for achieving maximum economy and efficiency and every licensee, generating company, sub station and any other person connected with the operation of the power system shall comply with such directions.

2. If any licensee, generating company or any other person fails to comply with the directions issued, shall be liable to a penalty not exceeding Rs. 5 lacs.

16. Resolution of Dispute:

If any dispute arises with reference to the quality of electricity or safe, secure and integrated operation of the State grid or in relation to any direction, payment or billing shall be referred to the Commission for adjudication.

Provided that pending the decision of the Commission, the licensee or generating company shall comply with the direction of State Load Despatch Centre.

17. Miscellaneous: Nothing in these Regulation shall:

1. be deemed to limit or other wise effect the power of the Commission to make, at any time and on such terms as it may think fit, such amendment in the provisions of these Regulations for the purpose of meeting the objectives with which these Regulations have been framed,

2. bar the Commission from adopting in conformity with provisions of the Act, if procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or a class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

3. expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulation had been framed and Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner, as it considers just and proper.

18. Removal of difficulties:

If any difficulties arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order , do any thing not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it, necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

19. These Regulations are made in English & translated into Hindi. In case of dispute, English version shall prevail.

By The Order Of The Commission

Secretary